उत्तर प्रदेश सरकार,
गृह (पुलिस) अनुभाग–10
संख्याः 2548 / 6–पु0–10–2008–27(60) / 2001
लखनऊः दिनांक 02, दिसम्बर, 2008

––––––

प्रथम संशोधन का शासनादेश
संख्याः 210 / 6–पु0–10–2009–27(7) / 2009
लखनऊः दिनांक 02, अप्रैल, 2009

––––––

द्वितीय संशोधन का शासनादेश
संख्याः 103 / 6–पु0–10–2010
लखनऊः दिनांक 19, जनवरी, 2010

––––––

तृतीय संशोधन का शासनादेश
संख्याः 203(1) / 6–पु0–10–2010–27(7) / 08 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 05, अप्रैल, 2010

––––––

चतुर्थ संशोधन का शासनादेश
संख्याः 102 / –पु0 / 10–11–27(7)–2008 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 14, जनवरी, 2011

––––––

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन् 1861) की धारा–2 और उक्त धारा की उपधारा (3) के साथ पठित धारा–46 की उपधारा(2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग—1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप—निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जाएगी।
		(2)	यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2		उत्तर प्रदेश उप—निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एक सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।
परिभाषाएं	3		जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :—
		क	''अधिनियम'' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।
		ख.	''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।
		ग.	''बोर्ड'' का तात्पर्य इस संबंध में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है।
		घ.	''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग—2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।
		ड.	''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।
		च.	''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है
		छ.	''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है
		ज.	''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है।
		झ.	''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।
		ञ.	''नागरिकों'' के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है
		ट.	''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।
		ठ	''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप—निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा से है।
		ड	''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
		ढ.	''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्ड वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

<u>भाग—दो—संवर्ग</u>

सेवा का संवर्ग 4

1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए।

2 सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो :–

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1. निरीक्षक	890	339	1229
2. उप निरीक्षक	7153	3754	10907

परन्तु यह कि :–

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्त्रोत 5

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोत से की जाएगी।

1. उपनिरीक्षक– पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा।

   सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन भर्ती करेगा।

2. निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/माउण्टेड पुलिस/पी0ए0सी0 के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा :–

क. भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा परिवीक्षा अवधि को छोडकर, पूर्ण कर ली हो।

ख. भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

3. निरीक्षक :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

   परन्तु यह कि निःसम्वर्गीय पदों पर पदोन्नत निरीक्षक

(नागरिक पुलिस) भी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी— उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय–समय पर सरकार द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

आरक्षण 6 अनुसचित जातियों, अनूसचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाडियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह और उपबंधित किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नही होंगे।

भाग—चार—अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

क. भारत का नागरिक हो, या

ख तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता	8	उप–निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।
अधिमानी अर्हताएं	9	अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या (चार) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त की हो। टिप्पणी:– उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होंगे, बल्कि अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन (श्रेष्ठता सूची) में वरीयता दी जायेगी।
आयु	10	जिस कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जायें, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्व कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।
चरित्र	11	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे। **टिप्पणी :–** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	12	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहली से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।
शारीरिक	13	किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा

स्वस्थता

जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी– चिकित्सा बोर्ड नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, कलर ब्लाइंडनेस, दृष्टि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

रिक्तियों का अवधारण

14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉं, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :–

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडिया/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा,

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित कर के,

(चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा ।

उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए, चयन समिति के अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

क. **<u>आवेदन पत्र (एक)–</u>** अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है,

(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की आएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक,

लिखित परीक्षा के लिए विषयवार न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी

(तीन) आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर है।

(चार)– अभ्यर्थियों के बाये और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है।

(पॉच) अभ्यर्थियों को अपना व्यक्तिगत विवरण यथा जन्मतिथि, लिंग,

शैक्षिक अर्हता, श्रेणी अधिमानी अर्हता, जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लिखित करेंगे। इन योग्यताओं/विवरणों से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियॉ, मूल प्रमाण–पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र स्थल पर शारीरिक मानक परीक्षण संचालित करने वाले अधिकारियों द्वारा संवीक्षा किये जाने हेतु प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा। दल अभ्यर्थियों द्वारा प्रंस्तुत किये गये संगत प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों को समुचित संवीक्षा और मूल प्रमाण पत्रों से उनका मिलान करने के पश्चात् स्वीकार करेगा और भविष्य हेतु दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को हस्तगत करने से पूर्व उनको भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति तक अनुरक्षित करेगा।

(छः) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर समुचित स्थान पर अथवा बोर्ड द्वारा तथा अपेक्षित स्थान पर चिपकाया जायेगा।

(सात) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकेगा।

(आठ) समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए, जहां से वह इसी प्रकार क्रय किया गया है।

ख. **बुलावा पत्र** –बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षण के समय प्रमाण पत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र स्कैन किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहॉ से आवेदन पत्र क्रय किया गया था/प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड गहन विचारोपरान्त बुलावा पत्र भेजने के लिए किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण का दिनांक और समय सहित शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक का पता/स्थल बुलावा पत्र पर सफाई से उल्लिखित किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर संवीक्षा के लिए ऐसे दस्तावेज, जो अभ्यर्थी से अपेक्षित हों को सफाई से बुलावा पत्र पर संसूचित किया जायेगा। बुलावा पत्र शारीरिक मानक परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुॅच जाने चाहिए। यदि परीक्षण प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड से समस्त संचार/पत्राचार में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड उद्धृत करना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावा पत्र निर्गत किया जायेगा।

ग. **शारीरिक मानक परीक्षा–**

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक

मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–1 में दी गयी है।

घ **प्रारम्भिक लिखित परीक्षा**

खण्ड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार/अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षण 200 अंकों का होगा।

इसमें तीन खण्ड होंगे, अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिक विषय, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतन्त्रता संग्राम आदि) 50 अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 अंकों की तार्किक परीक्षा। न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।

ङ **शारीरिक दक्षता परीक्षा–**

शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड 60 मिनट में तथा महिलाओं के लिए 05 किलोमीटर की दौड 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित है।

च. **मुख्य लिखित परीक्षा–**

खण्ड (ङ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगीः–

विषय	**अधिकतम अंक**
1. सामान्य हिन्दी/	75 अंक
हिन्दी निबन्ध	25 अंक
2. मूलविधि एवं संविधान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

टिप्पणी– लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।

प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्यक् प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा

में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों सहित सम्पूर्ण सूची एवं साथ में उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की तीन गुनी होगी।

छ. **समूह परिसंवाद–**

खण्ड(ख) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह– परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन जिसमें प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक और अपराध–विज्ञानी होगा, के पर्यवेक्षण में बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उसका नाम निर्देशिती और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अपर पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में किया जायेगा। उक्त समूह परिसंवाद में, किसी पुलिस वाद अध्ययन परिसंवाद के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन सम्मिलित होगा। यह अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोड कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी 1– समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक सी0डी0 तैयार की जाएगी।

टिप्पणी 2– समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों का चयन समिति में नाम निर्देशन किया जाएगा।

टिप्पणी 3– लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए प्रक्रिया वही होगी जैसा कि परिशिष्ट–3 में विहित किया गया है।

ज. **अनन्तिम चयन सूची**

नियम–15 के खण्ड (ख) के अधीन मुख्य परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक खण्ड (छ) के अधीन समूह परिसंवाद में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने के मामले में मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर

अपलोड करेगा।

नोट :–

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता को निम्नलिखित नीचे उल्लिखित क्रम में विनिश्चित किया जायेगा:–

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं।

(2) यदि इसके पश्चात् भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायेगा, जिसने कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की हो अथवा नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अपलीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

(3) इसके पश्चात् भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

(4) इसके पश्चात् भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है।

झ. चिकित्सा परीक्षण

खण्ड (छ) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के पश्चात अनन्तिम चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्त प्राधिकारी चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। इस नियमावली के नियम–13 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण उ0प्र0 पुलिस मुख्यालयों में संचालित किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–4 में दी गयी है। चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जायेंगे।

चरित्र सत्यापन–

ञ. नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व चरित्र सत्यापन को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। चरित्र/कागजातों का सत्यापन साधारणतया एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। अभ्यर्थीगण यदि चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जायें अथवा उनके कागजातों/चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में लाया जाये तो वे अभ्यर्थी नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिये जायेंगे और ऐसी रिक्तियॉ अग्रेनीति कर दी जायेंगी ।

(क) चरित्र सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमात्र पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और सभी अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिनके सम्बन्ध में उसने क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा

किया है, नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करने की ओर उनकी प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी और उनकी प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, खेलों के लिए जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, जाति/मूल निवास के लिए तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर बाएं और दाहिने अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, गॉव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणों सहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) उपरोक्तानुसार प्राथमिक प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को भेजे जाने से पूर्व सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनके बारे में चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य आयें हों।

उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया।

16 विभागीय परीक्षा के आधार पर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ, बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा :—

(क) लिखित परीक्षा :—

(एक) पास व्यक्तियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत् हैं :—

विषय	**अधिकतम अंक**
1. हिन्दी निबन्ध (कानून व्यवस्थावाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित)	100 अंक
2. मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड संहिता दंण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि)	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता परीक्षा	50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धि लब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

टिप्पणी —1 प्रश्नपत्रों को उपनिरीक्षक के पद के कार्य प्रोफाइल को ध्यान में रखकर कार्य के उत्तरदायित्व के अनुरूप तैयार किया जायेगा।

टिप्पणी—2 जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(दो) चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को

ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

ख. **शारीरिक दक्षता परीक्षा**

खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।

ग **सेवा अभिलेख–**

खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिए 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 30 अंक जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 10 अंकों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक, राज्य स्तरीय प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नही किये जायेंगें। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत है। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

घ. **खण्ड (क) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची :–**

खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

ड. **समूह परिसंवाद**

नियम–17(क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रकिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जाएगी, जिसमें प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध–विज्ञानी सम्मिलित होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद विश्लेषण से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह–परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। ये अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी लोड किये जायेंगे।

टिप्पणी–1 समूह पहरवार की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी–2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा।

च **चयन और योग्याता सूची :–**

बोर्ड नियम–6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसाकि उप नियम(6) और उप नियम (5) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो उप नियम (पांच) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।

निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया। 17 विभागीय परीक्षा के आधार पर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। शत–प्रतिशत रिक्तियॉ पदोन्नति के माध्यम से भरी जायेंगी।

लिखित परीक्षा

(क)(एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत हैं:–

विषय	**अधिकतमअंक**
1. हिन्दी निबन्ध (कानून व्यवस्था वाद	100 अंक

अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित)

2. मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया 100 अंक
(भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि)

3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 50 अंक
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

4. मानसिक अभिरूचि / बुद्धिलब्धि / 50 अंक
तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

टिप्पणी 1 प्रश्नपत्र स्नातक स्तर के होंगे

टिप्पणी 2 जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3 लिखित परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।

दो. चयन समिति नियम–6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में हुये सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपनियम (दो) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

ख. **सेवा अभिलेख**

एक खंड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 30 अंक जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 10 अंकों के अधितकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगें। अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर से प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक और राज्य स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक, प्रदान किये जायेंगे तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नही किये जायेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त पर के अधीन रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचना करने के लिए प्राधिकृत है प्रत्येक वृहददंड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघुदंड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि तथा सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है, जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

दो उपखण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा उपनियम (ख) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(ख) इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

ग. **समूह परिसंवाद**

नियम–17(क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक /पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी, जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद विश्लेषण से संबंधित कुछ समस्याए परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतिकरण(5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। ये अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी लोड किये जायेंगे।

टिप्पणी 1 समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक काम्पैन्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी 2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों को नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाएगा।

घ. **अंतिम चयन सूची**

चयन समिति नियम–6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि खण्ड (पांच) और खण्ड (छः) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हों, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उपनियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में उपर रखा जाएगा। चयन समिति सूची को बोर्ड को अग्रसारित करेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। विभागाध्यक्ष, आपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा। सभी अभ्यर्थियों के अंकों से युक्त अंतिम चयन सूची बोर्ड के वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

भाग छः प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

प्रशिक्षण 18 (1) उपनिरीक्षक के पद पर नियम–15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर यथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। विहित प्रशिक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात विभागाध्यक्ष अपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति

प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

(2) पुलिस निरीक्षक के पद पर नियम–17 के अधीन नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति के पश्चात पुलिस विवेचना के आधुनिक पहलुओं से संबंधित पाठयक्रम को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।

नियुक्ति 19 **नियुक्ति**

(1) नियम 15 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को इसी क्रम में लेकर, जिस क्रम में नियम 15 के खण्ड–(ख) के अधीन तैयार की गयी सूची में स्थित हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें यथा स्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा, परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेंगी।

परिवीक्षा 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापनापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21 (1) नियम 20 के उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा

अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा। यदि.....
(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22 सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 23 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिए गये है।

परीवीक्षा अवधि में वेतन 24 (1)

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1.	उप निरीक्षक	रू0 5500–9000
2.	निरीक्षक	रू0 6500–10500

फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी

सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमो द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	25		किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभयर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	26		ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
संयुक्त चयन सूची	27		यदि किसी भर्ती वर्ष में नियुक्तियां दोनों सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसे रीति से लिये जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	28		जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनयमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी भर्ती के अधीन कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकते है। परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा।
व्यावृत्ति	29		इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।
अध्यारोही प्रभाव	30	(1)	राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
		(2)	उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।
			सेवारत् सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी नियमावली शासनादेशों

(3) या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के संबंध मे, कोई दावा नही होगा, और तद्धीन प्रोदभूत कोई अधिकार समाप्त हुये समझे जायेंगे।

(4) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन 02 दिसम्बर, 2008 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धरण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नही की जायेगी।

आज्ञा से

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्याः2548/6–पु0–10–08–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को नियमावली को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि नियमावली के अंग्रेजी व हिन्दी अनुवाद को विधायी परिशिष्ट भाग–4 के खण्ड (क) परिनियत आदेश के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 2500 प्रतियां शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–10 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ
3. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) लखनऊ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
5. कार्मिक अनुभाग–1/2
6. भाषा अनुभाग–5
7. विधायी अनुभाग–1
8. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक।
9. गृह विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

(आर0पी0 मिश्र)
विशेष सचिव

परिशिष्ट–1

(नियम 15 (ग) देखें)

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1—परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर
2—चिकित्सक/क्रीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3—पुलिस उपाधीक्षक

(1) यह उक्त दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों के मूल और अभिप्रमाणित छायाप्रतियों की संवीक्षा करें और इस बात की जॉच करें कि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में प्रदान की गयी सूचना के मध्य कोई विसंगति न हो। प्रमाण पत्रों अर्थात आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण—पत्र, खेल प्रमाण—पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/ टेरिटोरियल आर्मी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्ड सेवा सबूत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण का दावा करने के मामले में जाति प्रमाण—पत्र, और खण्ड (क) नियम—15(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले क्षैतिज आरक्षण के मामले मे निवास प्रमाण—पत्रों के सम्यक् परीक्षण एवं मिलान करने के पश्चात् उक्त दल सुसंगत प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करेगा और भावी दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के पूर्व भर्ती की प्रक्रिया की समाप्ति तक उन्हें अनुरक्षित रखेगा।

(2)सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊॅचाई 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने की माप

सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए हुए 77 से0मी0 तथा फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर होनी चाहिये।

टिप्पणीः— सीने का फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आवश्यक है।

(3) महिला हेतु न्यूनतम शारीरिक ऊॅचाई का मानक—

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन– न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) स्टेडियम/पुलिस लाईन्स जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायगा।

(5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन्स/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किंतु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(6) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जाएगा।

(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट–2

(नियम 15 (ड़) देखें)

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा	शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1. परगना मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कलेक्टर, 2. चिकित्सक/ कीडा अधिकारी/ राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, 3. पुलिस उपाधीक्षक।

क. शारीरिक दक्षता परीक्षा दल के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूची के अनुसार किसी विशिष्ट दिनांक को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा संचालित की जाये। सम्पूर्ण राज्य में यह परीक्षा एक सप्ताह में पूरी की जायेगी। अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों के होने की स्थिति में बोर्ड समयावधि को बढ़ाने का विनिश्चय कर सकता है।

ख. जहॉ कहीं परीक्षण, परीक्षा के पूर्व किया जाय, वहॉ प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टैडियम/पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जाएगा।

ग शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहॉ तक सम्भव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाएगा।

घ दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाहियों के भागी होंगे।

ड़ शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण होने पर समस्त सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के समस्त सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

च. इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त होने के तत्काल पश्चात परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय।

छ. शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा।

ज. शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाएगा।

परिशिष्ट–3

(नियम 15 (च) देखें)

लिखित परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों (उप निरीक्षक

प्रक्रिया		की सीधी भर्ती के मामले में) को शारीरिक दक्षता परीक्षण कराना होगा। संघ लोक सेवा आयोग की रीति से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र डाक घर/बैंक के माध्यम से उसी रीति से भेजे जायेंगे जैसे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजे गये थे।
	क.	फोटो, दोनों हाथों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम, डाक का पता, परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जाएगा।
	ख.	परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुंच जाना चाहिए। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन/ लैण्डलाइन/ मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है या बोर्ड की वेबसाइट से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।
	ग.	लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी।
	घ.	लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कॉपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कॉपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
	ड़	लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

परिशिष्ट–4

(नियम 15 (छः) देखें)

सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण

चिकित्सा परीक्षा परिषद्	**चिकित्सा परीक्षा परिषद**

मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों, जो अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो **नियुक्ति प्राधिकारी** के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए **विनिश्चय किया जा सकता है**। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहॉ कहीं भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक–नी, बो–लेक्स, फ्लैट–फीट, वेरीकोज़वेन्स, दूर एवं निकट दुष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रेबीज़ टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, बेबर्स–टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जॉच करेगा। यदि परिस्थितियॉ ऐसी वारन्टी दें तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात् अन्य परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(ख) दिन के अन्त में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जायेगा और माइक पर उद्घोषित किया जायेगा।

(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(घ) चिकित्सा परीक्षा अर्हकारी है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा के परिणाम को प्रत्येक दिन सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित किया जायेगा और जहॉ कहीं सम्भव हो इसे बोर्ड के वेब–साइट पर अपलोड किया जायेगा।